



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2016/ज्येष्ठ 17, 1938

No. 396]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2016/JYAISTHA 17, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2016

सा.का.नि. 580(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :-

1 (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, 2016 है।

(2) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में, -

(क) पैरा 38 के, उप-पैरा (1) में शब्दों "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अन्य कोई राष्ट्रीयकृत बैंक" के पश्चात् शब्द "या पेजीओवी प्लेटफार्म के माध्यम से" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) पैरा 48 के, उपपैरा (1) में शब्दों "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अन्य कोई राष्ट्रीयकृत बैंक" के पश्चात् शब्द "या पेजीओवी प्लेटफार्म के माध्यम से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. एस.35012 /1/2016-एसएस-2]

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि(अ) संख्यांक 1500, तारीख 2 सितम्बर, 1952 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.नि. संख्यांक 158(अ), तारीख 10 फरवरी, 2016, द्वारा अंतिम संशोधित की गई।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2016

G.S.R. 580(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Fourth Amendment) Scheme, 2016.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952,-
 - (a) in paragraph 38, in sub-paragraph (1), after the words "State Bank of India or any other Nationalised Bank", the words "**or through PayGov platform**" shall be inserted;
 - (b) in paragraph 48, after the words "State Bank of India or any other Nationalised Bank", the words "**or through PayGov platform**" shall be inserted.

[F. No. S-35012/1/2016-SS-II]

MANISH GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1509, dated the 2nd September, 1952 and was lastly amended *vide* number G.S.R. 158(E) dated the 10th February, 2016.